

न्यायालय :- पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड
(आप.प्र.क.क्र. :- 105 / 2015)
(संस्थित दिनांक :- 17 / 03 / 2015)

म.प्र. राज्य,

द्वारा आरक्षी केन्द्र :- मौ

जिला-भिण्ड, म.प्र.

..... अभियोजन।

/// विरुद्ध ///

01. रजनीकान्त शर्मा पुत्र श्रीनिवास शर्मा उम्र 31 वर्ष
 निवासी-ग्राम खेरिया बाग, थाना-मेहगांव, जिला-भिण्ड, (म.प्र.)
 अभियुक्त

/// निर्णय ///

(आज दिनांक : 05 / 12 / 2016 को घोषित)

01. अभियुक्त रजनीकान्त पर भा.द.सं. की धारा 304 (ए) भा.द.सं. के अन्तर्गत आरोप है कि उसने दिनांक : 10 / 03 / 2015 को दोपहर लगभग 04:40 बजे मौ-स्यौड़ा रोड़ रतवा तिराहा पर, अपने आधिपत्य के वाहन डम्पर क्रमांक एम.पी. 07 / जी / 5745 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मृतक पूजा में टक्कर मारकर उसकी ऐसी मृत्यु कारित की जो, आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती।

02. प्रकरण में उभय पक्ष के मध्य राजीनामा हो जाना सारवान निर्विवादित एक तथ्य है।

03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :- 10 / 03 / 2015 को दोपहर लगभग 04:40 बजे मौ-स्यौड़ा रोड़ रतवा तिराहा पर, वाहन डम्पर क्रमांक एम.पी.07 / जी / 5745 के चालक द्वारा वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर पूजा में टक्कर मारकर मृत्यु कारित करने की रिपोर्ट मृतिका के पति सुधर सिंह द्वारा थाना मौ उसी दिनांक को जाने पर, थाना मौ में उक्त वाहन आरोपी चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 60 / 2015 अन्तर्गत धारा 304 ए भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया गया। घटनास्थल से वाहन डम्पर क्रमांक एम.पी. 07 / जी / 5745 को जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया गया। आरोपी रजनीकान्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। वाहन का यांत्रिक परीक्षण कराया गया। फरियादी सुधर सिंह एवं गुलाब सिंह के कथन लेखबद्ध किये गये तथा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04. अभियुक्त के विरुद्ध धारा 304 ए भा.द.सं. के आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का अभिवाक् अंकित किया गया।

05. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है:-

01. क्या आरोपी रजनीकान्त ने दिनांक :- 10/03/2015 को दोपहर लगभग 04:40 बजे मौ-स्यौड़ा रोड़ रतवा तिराहा पर, अपने आधिपत्य के वाहन डम्पर क्रमांक एम.पी.07/जी/5745 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मृतक पूजा में टक्कर मारकर उसकी ऐसी मृत्यु कारित की जो, आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती?

02. अंतिम निष्कर्ष ?

सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष

06. फरियादी सुघर सिंह अ.सा.02 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 11/11/2016 से करीबन डेढ़ वर्ष पूर्व की होकर शाम के चार-साढ़े बजे की है। वह अपनी पत्नी को दिखाने अस्पताल जा रहा था, तभी रतवा के पास खड़ा था। साक्षी आगे कहता है कि तभी सेवड़ा की तरफ से एक डम्पर आया और उसकी पत्नी पूजा को टक्कर मार दी, डम्पर का पहिया पूजा के सिर से निकल गया, जिससे उसकी हटनास्थल पर मृत्यु हो गई थी। उसके इन संबंध में पुलिस थाना मौ में रिपोर्ट की थी, जो प्र.पी.02 है, जिस पर उसकी अंगूठा निशानी है। पुलिस ने इस संबंध में अकाल मृत्यु की सूचना लेखबद्ध की थी, जो प्र.पी.03 है, जिस पर उसकी अंगूठा निशानी है। पोस्टमार्टम के बाद उसके द्वारा पूजा का शव प्राप्त किया गया था, शव प्राप्ति रसीद प्र.पी.04 है, जिस पर उसकी अंगूठा निशानी है। पुलिस ने हटनास्थल पर आकर का मौका-नक्शा प्र.पी.05 बनाया, जिस पर उसकी अंगूठा निशानी है। पुलिस ने उससे पूछताछ की थी। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी मृतक पूजा के पति सुघर सिंह अ.सा.02 ने आरोपी रजनीकान्त द्वारा दिनांक :- 10/03/2015 को दोपहर लगभग 04:40 बजे मौ-स्यौड़ा रोड़ रतवा तिराहा पर, अपने आधिपत्य के वाहन डम्पर क्रमांक एम.पी.07/जी/5745 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मृतक पूजा में टक्कर मारकर उसकी मृत्यु कारित करने का तथ्य नहीं बताया है और इस वावत् अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है। इस वावत् फरियादी सुघर सिंह अ.सा.02 की न्यायालयीन अभिसाक्ष्य तथा उसके द्वारा लेखबद्ध कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.02 के तथ्यों के मध्य ऐसे लोप है, जो विरोधाभास की प्रकृति के है।

08. घटना के कथित चक्षुदर्शी साक्षी गुलाब सिंह अ.सा.03 ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी आरोपी रजनीकान्त द्वारा दिनांक :- 10/03/2015 को दोपहर लगभग 04:40 बजे मौ-स्यौड़ा रोड़ रतवा तिराहा पर, अपने आधिपत्य के वाहन डम्पर क्रमांक एम.पी.07/जी/5745 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मृतक पूजा में टक्कर मारकर उसकी मृत्यु कारित करने का तथ्य नहीं बताया है और इस वावत् अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है।

09. आरोपी रजनीकान्त एवं फरियादी सुघर सिंह एवं गुलाब सिंह के मध्य राजीनामा हो जाने का तथ्य अभिलेख में है और फरियादी सुघर सिंह अ.सा. 02 एवं साक्षी गुलाब सिंह अ.सा.03 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में भी आया है।

10. अभियोजन द्वारा इस बावत कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह प्रकट होता हो कि आरोपी रजनीकान्त ने दिनांक :- 10/03/2015 को दोपहर लगभग 04:40 बजे मौ-स्यौड़ा रोड़ रतवा तिराहा पर, अपने आधिपत्य के वाहन डम्पर क्रमांक एम.पी.07/जी/5745 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मृतक पूजा में टक्कर मारकर उसकी ऐसी मृत्यु कारित की जो, आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती।

11. अभियोजन आरोपी के विरुद्ध धारा 304 ए भा.द.सं का आरोप प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः अभियुक्त रजनीकान्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 ए भा.द.सं. के अधीन दंडनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त कर इस मामले से स्वतंत्र किया जाता है।

12. अभियुक्त की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते हैं। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

13. प्रकरण में जब्तशुदा वाहन डम्पर क्रमांक एम.पी.07/जी/5745 पूर्व से उसके पंजीकृत स्वामी अनिल शर्मा के पास सुपुर्दगी पर है, सुपुर्दगी नामा उन्मोचित किया जाता है। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का व्ययन संबंधी आदेश प्रभावी होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(पंकज शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

